

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/460 बअनवान कैलाश भीणा बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	---

01/10/25

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपरिथत। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य हैं कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 274/538 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 585/272 व 274 में से नवीन रेकॉर्डेड रास्ता चाहा हैं। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में तकरीबन 1030 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक भूमि प्रभावित होगी।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 585/272 व 274 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। राजकीय सिवायचक भूमियों में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिये आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नहीं रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट पत्रांक : राजस्व/2025 /1729 दिनांक 17.06.2025 के बिन्दु संख्या 03 से भी सिद्ध होता है कि प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु इसी खसरा नंबर 585/272 व 274 की सिवायचक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीय सिवायचक भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने पर खसरा नंबर 585/272 व 274 (सिवायचक भूमि) का रकबा भी कम होगा। अतः राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 585/272 व 274 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं सदन
सहायक क्लर्क एवं सदन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली